निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या ए 169 / 20
दायरा दिनांक :– 30.12.2020
निर्णय दिनांक :– 30.9.21

उनवान

1. तुषार गोड़ पुत्र श्री घांसी जाति खाती निवासी ग्राम मेलखेडी बारां तहसील व जिला बारां हाल निवासी शमशानघाट रोड़ सुभाष नगर रंगबाडी कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घांसी जाति खाती निवासी मेलखेड़ी बारां तहसील व जिला बारां
2. गिर्राज पुत्र श्री घांसी जाति खाती निवासी मेलखेड़ी बारां तहसील व जिला बारां
3. जमनालाल पुत्र श्री घांसी जाति खाती निवासी मेलखेड़ी हाल निवासी 2 F 8 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा।
4. धापू बाई पुत्री घांसी जाति खाती निवासी मेलखेड़ी हाल निवासी 2 F 8 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा।
5. नन्दू बाई पुत्री घासी पत्नि श्री केसरी लाल जाति खाती निवासी मेलखेड़ी तहसील बारां हाल निवासी करबला कच्ची बस्ती लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0
6. बाबूलाल दत्तक पुत्र श्री धूलीलाल जाति खाती निवासी मेलखेड़ी तहसील बारां हाल निवासी खाती कॉलोनी बारां तहसील व जिला बारां राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 30.9.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री पिकेंश जगरवाल – वादी
2 श्री जितेन्द्र नागर – प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:36 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

कि वाके माल ग्राम मेलखेड़ी पटवार हल्का मेलखेड़ी तहसील बारां जिला बारां स्थित में आराजियात वर्तमान खाता सं0 200 पुराना 193 में वर्णित खसरा नं0 1143 रकबा 1.02 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 11.22 रूपया, खं0 नं0 1200 रकबा 0.83 है0 किस्म माल द्वितीय लगानी 9.96 रूपया खं0 नं0 397 रकबा 2.22 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 24.42 रूपया, खं0 नं0 799 रकबा0.09 है0 किस्म खेड़ा लगानी 1.62 रूपया, खं0 नं0 927 रकबा 0.46 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 6.90 रूपया कुल किता 5 कुल रकबा 4.62 है0 बखाता ओमप्रकाश पुत्र घासी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार, गिर्राज पुत्र घासी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार, जमनालाल पुत्र घासी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार, तेजराज पुत्र घासी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार, धापू बाई पुत्री घासी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार, नन्दू बाई पुत्री घांसी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार, बाबूलाल दत्तक पुत्र धूली लाल हिस्सा 1/2 जाति खाति सा0 देह खातेदार, रामप्यारी पुत्र घासी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार, स्थित है। जो वादी के शामलाती खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जिसमें वादी का 1/14 हिस्सा जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सं 2071 से 2074 से होती है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम तुषार गौड़ पुत्र श्री घांसी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार के स्थान पर तेजराज पुत्र श्री घासी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार गलत दर्ज हो गया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम तुषार गौड़ पुत्र श्री घांसी जाति खाती निवासी ग्राम मेलखेड़ी तहसील बारां जिला बारां हाल निवासी शमशानघाट रोड़ सुभाष नगर रंगबाडी कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0 है। जिसकी पुष्टि वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान एवं अन्य दस्तावेजों से होती है जिनकी प्रतियां वाद पत्र के साथ सलंग्न है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में तुषार गौड के स्थान पर तेजराज दर्ज होने से वादी अपने खाते व हिस्से की आराजियात पर के0सी0सी0 बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है तथा बैंक द्वारा वादी का नाम आधारकार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि से मिलान ना होने के कारण के0सी0सी0 बनाने से साफ मना कर दिया तथा साथ ही वादी सरकारी योजना का लाभ नही उठा पा रहा है, इस कारण वादी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये न्यायहित में वाके माल माल ग्राम मेलखेड़ी पटवार हल्का मेलखेड़ी तहसील बारां जिला बारां स्थित में आराजियात वर्तमान खाता सं0 200 पुराना 193 में वर्णित खसरा नं0 1143 रकबा 1.02 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 11.22 रूपया, खं0 नं0 1200 रकबा 0.83 है0 किस्म माल द्वितीय लगानी 9.96 रूपया खं0 नं0 397 रकबा 2.22 है0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 24.42 रूपया, खं0 नं0 799 रकबा 0.09 है0 किस्म खेड़ा लगानी 1.62 रूपया, खं0 नं0 927 रकबा 0.46 है0 किस्म माल प्रथम लगानी 6.90 रूपया कुल किता 5 कुल रकबा 4.62 है0 है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबन्दी में वादी अपना नाम तेजराज पुत्र घांसी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार के स्थान पर तुषार गौड पुत्र श्री घांसी हिस्सा 1/14 जाति खाती सा0 देह खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादी गण की और से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण सं 397 ग्राम मेलखेड़ी नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेड़ी सम्वत 2071–74 खाता 200, फोटो प्रति आधार कार्ड तुषार, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र तुषार, फोटो प्रति पेन कार्ड, फोटो प्रति जन आधार कार्ड, फोटो प्रति पास बुक पेश की गई। साक्ष्य वादी के तुषार का शपथ–पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मेलखेड़ी में स्थित है। जो वादी के शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/14 हिस्सा है। वादी का वास्तविक नाम तुषार पुत्र घांसी है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में तुषार गौड के स्थान पर तेजराज दर्ज कर दिया है। सही नाम की पुष्टि वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से होती है। वादी का नाम तुषार गौड के स्थान पर तेजराज दर्ज हो जाने से के0सी0सी0 बनवाने तथा सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। वादी का नाम आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से मिलान नहीं होने के कारण बैंक वालो ने के0सी0सी0 से साफ मना कर दिया । वादी अपने नाम को तेजराज के स्थान पर तुषार राजस्व रिकार्ड में दुरस्त करवाना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तेजराज के स्थान पर तुषार दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामा0 सं0 397 ग्राम मेलखेड़ी के अनुसार खातेदार मृतक घांसी पुत्र जगन्नाथ का फौती नामा0 खोला गया उसके मृतक घांसी के वारिसान का सजरा अंकित है उक्त सजरे में घांसी के पुत्रान जमनालाल, गिरीराज, तेजराज, ओमप्रकाश, बाबूलाल (गोद गया) पुत्रिया नन्दूबाई, धापूबाई, एवं बेवा रामप्यारी दर्ज है इससे यह साबित होता है कि मृतक घांसी का फौती नामा0 खोलते समय नाम तेजराज दर्ज किया है जो सही है यह केसे कहा जा सकता है कि तेजराज व तुषार एक ही व्यक्ति है क्योकिं तेजराज व तुषार दोनो नाम अलग–अलग है नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेड़ी सम्वत 2071–74 खाता सं0 200 में तेजराज पुत्र घांसी हिस्सा 1/14 दर्ज है। प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार यह साबित होता है कि नामा0 सं0 397 के अनुसार जमाबन्दी में नाम दर्ज किये गये है आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड की फोटो प्रति तुषार के नाम पेश की गई है। वादी द्वारा यह कहा गया है कि फौती नामा0 खोलते समय नाम गलत दर्ज कर दिया गया है तो वादी को घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

25/2/21

वादी अपने नाम को दुरूस्त कराने के लिए नामा0 की अपील पेश कर राहत प्राप्त कर सकते है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायाचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:51:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner